"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 408] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 8 नवम्बर 2016—— कार्तिक 17, शक 1938

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 नवम्बर 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-11/आठ-परि./2016. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय एवं अलिपिक वर्गीय) परिवहन सेवा भर्ती नियम, 2013 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

1. अनुसूची-दो के सरल क्रमांक 5 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5.	सहायक ग्रेड-एक	22	-	100%	-"	

2. अनुसूची-चार के सरल क्रमांक 3 के कॉलम (6) की प्रविष्टियों का लोप किया जाये.

No. F 5-11/VIII/Trans./2016. — In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgrah, hereby, ,makes the following further amendment in the Chhattisgarh Class-III (Clerical and Non-Clerical) Transport Service Recruitment Rules, 2013, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. For serial number 5 of Schedule-II, the following shall be substituted, namely :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
"5.	Assistant Grade-I	22	-	100%	-"	

2. Entries in Column (6) of serial number 3 of Schedule-IV shall be omitted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार ध्रुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.